भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4148
उत्तर देने की तारीख: 19.08.2025

पीएम-दक्ष के लिए निधि

4148. डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री जनार्दन मिश्रा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना की शुरुआत से इसके अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पीएम-दक्ष की शुरुआत के पश्चात् से प्रत्येक वित्त वर्ष में इसके लिए आबंटित, जारी और उपयोग की गई कुल निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् सफलतापूर्वक नियोजित किए गए प्रशिक्षित लाभार्थियों की वर्ष-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या 1,87,305 है।

(ख): चूंकि पीएम-दक्ष योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए इस योजना के तहत राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई निधि आवंटित या जारी नहीं की जाती है। विभाग इस योजना

के अंतर्गत तीन निगमों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) को निधियां जारी करता है। इस योजना को स्थायी वित्त समिति द्वारा 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। विभाग द्वारा वर्ष-वार आवंटित और जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:-

(रु. करोड़ में)

2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
100	79.48	68.23	84	84	14.94	92.47	120	58.34	130	80	79.4

(ग): पीएम-दक्ष योजना तीन निगमों, एनएसएफडीसी, एनबीसीएफडीसी और एनएसकेएफडीसी द्वारा विभिन्न लक्षित समूहों के लिए कार्यान्वित की जाती है। अब तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद (रोजगार) पाने वाले प्रशिक्षुओं की कुल संख्या 73,150 है। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सफलतापूर्वक नियोजित किए गए प्रशिक्षित लाभार्थियों का, प्रत्येक निगम के संदर्भ में, वर्षवार तथा राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

संलग्नक-I

डॉ. निशिकान्त दुबे, श्री प्रवीण पटेल, श्री बिद्युत बरन महतो, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्रीमती कमलेश जांगड़े, श्री दिनेशभाई मकवाणा, श्री जनार्दन मिश्रा द्वारा पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4148, जिसका उत्तर 19.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक-I

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी)					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	नियोजित लाभार्थियों की संख्या			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	90	422	85	22
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4	असम	456	1013	490	232
5	बिहार	843	848	543	280
6	चंडीगढ़	0	0	0	0
7	छतीसगढ़	383	279	237	23
8	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0
9	दिल्ली	185	132	100	30
10	गोवा	0	0	16	0
11	गुजरात	537	618	297	58
12	हरियाणा	484	267	257	434
13	हिमाचल प्रदेश	91	93	241	268
14	जम्मू-कश्मीर	329	366	260	445
15	झारखंड	116	362	340	150
16	लद्दाख	40	21	0	27
17	लक्षद्वीप	0	0	0	0
18	कर्नाटक	123	361	219	123
19	केरल	313	269	165	77
20	मध्य प्रदेश	774	854	953	1373
21	महाराष्ट्र	690	736	247	410
22	मणिपुर	144	309	122	0
23	मेघालय	55	23	100	0
24	मिज़ोरम	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0
26	ओडिशा	280	262	507	5
27	पांडिचेरी	0	19	0	0
28	पंजाब	518	326	251	368
29	राजस्थान	692	814	483	388
30	सिक्किम	75	132	18	25
31	तमिलनाडु	611	474	276	515
32	तेलंगाना	134	264	46	244
33	त्रिपुरा	21	310	157	22
34	उत्तर प्रदेश	1846	2325	1383	1728
35	उत्तराखंड	508	132	198	172
36	पश्चिम बंगाल	448	482	166	107
	कुल	**10,786**	**12,513**	**8,157**	**7,526**

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)					
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम**	**नियोजित लाभार्थियों की संख्या**			
		2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	आंध्र प्रदेश	211	555	337	0
2	असम	51	171	437	1083
3	बिहार	392	897	204	27
4	चंडीगढ़	0	0	78	0
5	छत्तीसगढ	47	181	57	0
6	दिल्ली	51	60	148	0
7	गोवा	0	0	70	0
8	गुजरात	356	404	149	0
9	हरियाणा	147	409	235	120
10	हिमाचल प्रदेश	115	142	235	166
11	जम्मू-कश्मीर	59	211	352	42
12	झारखंड	0	161	169	0
13	कर्नाटक	119	639	272	19
14	केरल	147	247	66	25
15	मध्य प्रदेश	560	1009	1158	170
16	महाराष्ट्र	252	531	311	222
17	मणिपुर	45	73	92	0
18	ओडिशा	173	410	70	0
19	पुडुचेरी	25	13	0	0
20	पंजाब	584	885	907	184
21	राजस्थान	293	597	380	69
22	तमिलनाडु	185	398	177	0
23	तेलंगाना	109	145	51	0
24	त्रिपुरा	20	63	64	16
25	उत्तर प्रदेश	1351	2655	667	491
26	उत्तराखंड	89	206	113	70
27	पश्चिम बंगाल	220	1021	640	0
	कुल	**5,601**	**12,083**	**7,439**	**2,704**

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)					
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	नियोजित लाभार्थियों की संख्या			
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए थे जो पहले से ही काम कर रहे हैं और इनका उद्देश्य उनके कौशल स्तर को उन्नत करना था, न कि उन्हें रोजगार प्रदान करना।	0	0	0
2	असम		101	0	114
3	बिहार		97	0	0
4	छतीसगढ		115	0	0
5	दिल्ली		0	0	0
6	गुजरात		0	0	24
7	हरियाणा		0	0	317
8	हिमाचल प्रदेश		0	0	168
9	जम्मू-कश्मीर		0	0	77
10	झारखंड		297	0	22
11	कर्नाटक		0	134	
12	केरल		0	0	72
13	मध्य प्रदेश		167	155	643
14	महाराष्ट्र		26	71	125
15	ओडिशा		42	275	55
16	पंजाब		295	123	49
17	राजस्थान		0	56	392
18	तमिलनाडु		0	0	27
19	तेलंगाना		0	145	0
20	त्रिपुरा		0	111	0
21	उत्तर प्रदेश		647	762	236
22	उतराखंड		93	0	0
23	पश्चिम बंगाल		94	163	51
	कुल		**1,974**	**1,995**	**2,372**

*****